कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 02 दिनांक 26—02—2011

विषय— **माँ राजराजेश्री माता मेला आयोजन की स्वीकृति पर विचार।**

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 04/04/2011 से 18/04/2011 तक माँ राजराजेश्वरी नवरात्रि मेला एवं प्रदर्शनी 2011 का आयोजन मेला प्रांगण मे किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है। मेला आयोजन पर होने वाले व्यय 5.00 लाख का बजट मे प्रावधान किया जावे। जमीन किराया एवं लाईट व्यवस्था किराया 10% वृद्धि किया जावे मेले को सुन्दर एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजन हो सभी अधिकारीगण/कर्मचारीगण, पार्षदगण विशेष ध्यान रखा जावे। मेला मे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, भजन संध्या, भजन कीर्तन मंडली आदि प्रोग्राम आयोजन हेतु तथा होने वाले आवश्यक व्यय/भुगतान हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता है। अलग से मेला समिति का गठन नही किया जावे। संपूर्ण परिषद पार्षदगण मेला आयोजन मे सहयोग प्रदान करें। तदाशय का संकल्प सर्वानुमति से पारित।

सही
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 03 दिनांक 26–02–2011

विषय– 2011 दैनिक बाजार बैठक साप्ताहिक हाट बाजार बैठक शुल्क की दरो सहित अन्य विभिन्न मदो मे शुल्क/कर की दरों मे वृद्धि पर विचार।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। कार्यालयीन प्रतिवेदन देखा गया। नगर पालिका परिषद शाजापुर मे प्रचलित विभिन्न राजस्व मदो मे म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 129 (एक) ख के अन्तर्गत निम्नानुसार शुल्क वृद्धि की जाती है।

क्रं.	उपविधि/मद का नाम	वर्तमान दर	संशोधित दर
1	2	3	4
1	भवन निर्माण सामग्री सार्वजनिक स्थलो पर रखने हेतु भूमि शुल्क	रू. 1/– प्रति वर्गफूट प्रति सप्ताह	रू. 2/– प्रति वर्गफूट प्रति सप्ताह
2	सर्कस तथा मनोरंजन की अन्य प्रदर्शन जहां प्रवेश टिकटों द्वारा हो।	रू.25/– प्रतिप्रदर्शन	रू.25/– प्रतिप्रदर्शन
3	भवन प्रतिलिपि शुल्क	रू. 25/–	रू. 50/–
4	नामांतरण प्रमाण पत्र (स्वीकृति सूचना)	रू. 50/–	रू. 100/–
5	अनापत्ति प्रमाण पत्र	रू. 50/–	रू. 100/–
6	अन्य समस्त प्रकार के प्रमाण पत्र	रू. 10/–	रू. 50/–
7	नल कनेक्शन आवेदन फार्म	रू. 25/–	रू. 100/–
8	भवन निर्माण अनुज्ञा आवेदन फार्म	रू. 100/–	रू. 100/–
9	नामांतरण आवेदन फार्म	रू. 25/–	रू. 100/–
10	नामांतरण विलंब शुल्क	रू. 300/–	रू. 500/–
11	नामांतरण आवेदन शुल्क	रू. 50/–	रू. 100/–
12	लाइसेंस शुल्क प्रतिवर्ष		
	अ ज्वलनशील पदार्थ लाइसेंस (पटाखे छोडकर)	रू. 1000/–	रू. 1000/–
	ब आरा मशीन लाइसेंस	रू. 100/–	रू. 500/–
	स. रूई पिंजाई लाइसेंस	रू. 50/–	रू. 500/–
	द खाद्य पदार्थ लाइसेंस	रू. 50/–	रू. 100/–
	ई. टेंट हाउस लाइसेंस	रू. 100/–	रू. 500/–
13	(अ) नगर पालिका स्वामित्व की दीवारों पर विज्ञापन एवं नगर पालिका सीमा में होर्डिंग्स स्थापित करने के लिए शुल्क (प्रतिवर्गफीट प्रतिवर्ष)	रू. 10/–	रू. 20/–
	(ब) बिना अनुमति विज्ञापन एवं होर्डिंग्स स्थापित करने पर शुल्क (प्रतिवर्गफीट प्रतिवर्ष)	रू. 30/–	रू. 50/–
14	नल कनेक्शन अमानत		
	अ घरेलू	रू. 1000/–	रू. 1000/–
	ब अघरेलू	रू. 1700/–	रू. 1700/–
15	जल संयोजन विच्छेद शुल्क	रू. 100/–	रू. 500/–

	पुनः संयोजन शुल्क जल संयोजन शुल्क	रू. 100/- रू. 200/-	रू. 1000/- रू. 500/-
16	जलकर (भवन निर्माण हेतु)	रू. 100/- प्रतिमाह	रू. 200/- प्रतिमाह
17	पेयजल विक्रय दर हजार लीटर	रू. 15 प्रति हजार लीटर	रू. 15 प्रति हजार लीटर
18	पानी टेंकर छोटा पीने हेतु पानी टेंकर बड़ा पीने हेतु पानी टेंकर निर्माण हेतु पानी टेंकर बड़ा निर्माण हेतु	रू. 100/- रू. 150/- रू. 150/- रू. 200/-	रू. 200/- रू. 300/- रू. 400/- रू. 500/-
19	हाट बाजार फीस (1) जमीन किराया (प्रति दुकान) (6' x 6') (2) ट्रेक्टर ट्रॉली मेटाडोर निलामी स्थल (जमीन किराया) (3) बैलगाडी टेम्पो निलामी स्थल (जमीन किराया)	 2/-प्रतिदिन 10/-प्रतिदिन 5/-प्रतिदिन	 5/-प्रतिदिन 15/-प्रतिदिन 10/-प्रतिदिन
20	सब्जी मण्डी/धानमण्डी/फल फ्रूट बाजार फीस (1) जमीन किराया (प्रति दुकान) (6' x 6') (2) ट्रेक्टर ट्रॉली मेटाडोर निलामी स्थल (जमीन किराया) (3) बैलगाडी टेम्पो निलामी स्थल (जमीन किराया)	 2/-प्रतिदिन 10/-प्रतिदिन 5/-प्रतिदिन	 5/-प्रतिदिन 15/-प्रतिदिन 10/-प्रतिदिन
21	हाठ ठेला	2/-प्रतिदिन	5/-प्रतिदिन
22	तरबूज/खरबूज (मौसमी दुकाने) (6' x 6')	10/-प्रतिदिन	15/-प्रतिदिन

उपरोक्त संशोधित दरे दिनांक 01/04/2011 से लागू करने (प्रभावशील करने) की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदाशय का संकल्प सर्वानुमति से पारित।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 04 दिनांक 26–02–2011

विषय– अभिभाषक नियुक्ति पर विचार।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। नगर पालिका परिषद शाजापुर हेतु विधि सलाहकार एवं अभिभाषक पद पर नियुक्ति के संबंध मे अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद शाजापुर को नियमानुसार कार्यवाही कर नियुक्ति हेतु अधिकृत किया जाता है। सर्वसम्मति से तदाशय का संकल्प पारित।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 05 दिनांक 26–02–2011

विषय– दैनिक बाजार/साप्ताहिक हाट बाजार एवं पशु पंजीयन शुल्क निलामी पर विचार।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए दैनिक बाजार/साप्ताहिक हाट बाजार एवं पशु पंजीयन शुल्क ठेके पर निलाम नियमानुसार कार्यवाही कर करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदाशय का संकल्प पारित।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 06 दिनांक 26–02–2011

विषय– वर्ष 2011–12 हेतु सम्पत्तिकर की दरों का अवधारणा एवं झोन परिवर्तन पर विचार।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। कार्यालयीन कार्यवाही देखी गई। म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 355 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन म.प्र. नगर पालिका (भवनों भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य के अवधारण) नियम 1997 नगरीय प्रशासन एवं विकास के नियम 3 व 4 सहपठित नियम 6 के तहत नगरीय सीमा अन्तर्गत भवनो/भूमियों का वर्गीकरण एवं झोन विभाजन तथा दरों का संशोधन वर्ष 2011–12 हेतु निम्नानुसार किया जाता है :–

झोन क्रं.–1	नई सड़क जवाहर मार्ग नाका नं. 1 से आजाद चौक तक के दोनो ओर के मकानों की पट्टी कसेरा बाजार (लक्ष्मीबाई मार्ग) के दोनो ओर के मकानो की पट्टी, गिरवर रोड, ईदगाह तक नित्यानंद मार्ग के दोनो ओर की पट्टी, सुगंधी गली, हुसैनी चौक, बोहरावाडी, मिन्की मोहल्ला, बजाज खाना, सराफा बाजार, आजाद चौक, पिपली गली, मीरकला बाजार के दोनो ओर के मकानो की पट्टी बादशाही पुल तक, ओसवाल सेरी, भंसाली मोहल्ला, मारवाडसेरी, गांधी मार्ग (सोमवारिया बाजार दरवाजा) के दोनो ओर के मकान बस स्टेण्ड गोपाल धर्मशाला टेंशन चौराहा, पटवारी कालोनी, किला रोड तथा किले से डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग चीलर नदी माधव ब्रिज तक के दोनो ओर के मकान, शास्त्री मार्ग के दोनो ओर के मकान टंकी चौराहा तक, शहीद भगतसिंह मार्ग, गायत्री नगर, राजनगर, पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी, महूपुरा के दोनो ओर के मकान, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग के दोनो ओर के मकान, सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग (बेरछा रोड) के दोनो ओर के मकान, गैस गोडाउन रोड, तोरण गार्डन तक उद्योग विभाग के अंदर के मकान तथा गैस गोडाउन रोड पर शिवालय तक तथा पूर्वी भाग आदर्श कालोनी स्टेशन रोड, बृज विहार कालोनी, नीलकण्ठ कालोनी, कान्वेट स्कूल के बीच का भाग, महूपुरा चौराहा से धोबी चौराहा, सिविल लाईन के पीछे का भाग तथा मरीमाता बाग, फूलखेड़ी, कृषि उपज मण्डी के सामने नहर के बीच का भाग, बायपास के बीच का क्षेत्र, काशी नगर, शरद नगर, वासे नगर, बोहरा दरगाह के मार्ग के भवन, आदित्य नगर, विजय नगर, कमला नगर, इन्द्रा नगर, एहमद नगर, नवीन नगर, आदर्श नवीन नगर, (लक्ष्मी नगर) बरखेडा (ए.बी. रोड) से आंगनवाडी तक के दोनो ओर के मकान, कालेज के पीछे (नवीन नगर) का संपूर्ण क्षेत्र दुपाडा रोड़, विवेकानंद नगर, होमगार्ड लाईन, ए.बी. रोड के दोनो ओर के मकान, लालघाटी टेलीफोन कालोनी, रामनगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, वन विभाग तथा उसके पीछे का भाग एम.पी.ई.बी. कालोनी माता मंदिर टेकरी, सरस्वती मंदिर दुपाडा रोड, भट्ट मोहल्ला, महिला मण्डल, गुरू नानक देव मार्ग, रविन्द्रनाथ टेगोर मार्ग, उदासी गली, नीमवाडी, सोमेश्वर मार्ग, चित्रगुप्त मार्ग, काछीवाडा रोड के दोनो ओर के मकान, चन्द्रा नगर, मूलीखेडा रोड, चित्रांश नगर, कृष्ण नगर, चन्देल कृषि फार्म, कृषि उपजमण्डी मास्टर कालोनी, डाक्टर्स कालोनी, बस स्टेण्ड, विघनेश्वर नगर, सहज पब्लिक, स्कूल से नाका तक यहां से पहाडी–2 होते हुए जेल भवन डाईट ए.बी. रोड़ बापू की कुटिया के आसपास का संपूर्ण क्षेत्र।
झोन क्रं.–2	तेलीवाडा, नाथवाडा, नाईवाड़ा, खत्रीपुरा, नागनागनी गली नं. 1 व 2, भावसार सेरी, हरायपुरा, लालपुरा, लालाखिड़की, कतियावाड़ी, नूरमण्डी, लखेरवाडी, अमरीश मार्ग, मंसूरी गली, धानमण्डी, दशहरा मैदान, अयोध्या बस्ती संपूर्ण (रेल्वे के पार) लोहिया मार्ग, वजीरपुरा।
झोन क्रं.–3	कमरदीपुरा, हरिजन कमरदीपुरा, चोबदारवाड़ी, दायरा, बादशाही पुल, रथखाना, कसाईवाडा, जुगनवाड़ी, मालीवाडा, सपरीपुरा, नयापुरा, डबगरवाडी, बैकुण्ठनाथ गली, तलैया वाली कालोनी, महूपुरा, अंदरूनी भाग पटेलवाडी, लखेरवाडी, किदवाई गली मगरिया, मनिहारवाडी, बादशाहीपुल, कुम्हारवाडा, मुगलपुरा, मोमनवाडी, डांसी, ग्वालटोली, नागर सेरी, कर्मचारी कालोनी, लक्ष्मीनगर मुख्य मार्ग को छोडकर, ज्योतिनगर, कागदीखाल के पार उत्तर की ओर का संपूर्ण क्षेत्र।

उपरोक्तानुसार नगरीय क्षेत्र को झोनो मे विभाजित कर सम्मिलित करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ख) सम्पत्तिकर की दर 6 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

(ग)	**1. आर.सी.सी., आर.बी.सी. गार्डर फर्शी छत युक्त पक्के भवन –**						
	दर प्रतिवर्ग फीट वार्षिक	झोन क्रमांक–1 की दरें		झोन क्रमांक–2 की दरे		झोन क्रमांक–3 की दरे	
		प्रचलित दर	प्रस्तावित	प्रचलित दर	प्रस्तावित	प्रचलित दर	प्रस्तावित
	व्यवसायिक	13/–	16/–	11/–	14/–	9/–	12/–
	आवासीय	11/–	13/–	9/–	11/–	7/–	9/–
	2. सीमेंट या लोहे की चादर (टाईल्स) छत युक्त पक्के भवन –						
	व्यवसायिक	11/–	14/–	9/–	12/–	7/–	10/–
	आवासीय	9/–	11/–	7/–	9/–	5/–	7/–
	3. अन्य आंशिक कच्चे या पक्के भवन						
	व्यवसायिक	9/–	12/–	7/–	10/–	5/–	8/–
	आवासीय	7/–	9/–	5/–	7/–	4/–	6/–
	4. खुली भूमि विकसित –						
	व्यवसायिक	7/–	10/–	5/–	8/–	4/–	7/–
	आवासीय	5/–	7/–	4/–	6/–	2/–	4/–
	5. खुली भूमि अविकसित –						
	व्यवसायिक	5/–	8/–	4/–	7/–	2/–	5/–
	आवासीय	4/–	6/–	2/–	4/–	1/–	3/–

इस प्रकार उपरोक्त झोनो की प्रस्तावित दरे 01/04/2011 से प्रभावशील करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है। नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त दरे प्रभावशील करें।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 07 दिनांक 26–02–2011

विषय– **हाट मैदान मे निर्मित दुकान एवं ओटला मरम्मत की स्वीकृति पर विचार।**

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। हाट मैदान मे आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनानतर्गत निर्मित दुकानो एवं ओटलो का समुचित उपयोग नही होने के कारण दुकानो की शहर खराब हो चुकी है तथा ओटलो की फर्शी भी जगह जगह से निकल चुकी है। अतः इनकी मरम्मत हेतु रूपये 5.00लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 08 दिनांक 26–02–2011

विषय– निकाय द्वारा प्रदाय किये जा रहे पानी टेंकरो के संबंध में विचार।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। कार्यालयीन प्रतिवेदन देखा गया। निःशुल्क प्रदाय किये जा रहे टेंकरों के संबंध मे चर्चा की गई। टेंकरो का निःशुल्क प्रदाय केवल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु एवं मौत मय्यै मंदिर मस्जिद मे निःशुल्क किया जाये शेष अति आवश्यक होने पर पार्षद द्वारा लिखित पत्र देने पर ही निःशुल्क टेंकर भेजा जावे। निजी निर्माण कार्यो हेतु टेंकर निःशुल्क रूप से पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगे। सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती है।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 09 दिनांक 26–02–2011

विषय– घर–घर कचरा संग्रहण एवं ''स्वच्छता मित्रो'' का मानदेय निर्धारण पर विचार।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। घर–घर कचरा संग्रहण योजना निकाय द्वारा प्रारंभ की गई थी किन्तु भवन स्वामी द्वारा 10–10 रूपये का सहयोग न देने के कारण ''स्वच्छता मित्रो'' को पर्याप्त राशि नही मिलने से योजना केवल कुछ वार्डो तक ही सीमित हो गई है। संपूर्ण नगर मे कचरा संग्रहण घर–घर से किया जाये इस हेतु ''स्वच्छता मित्रो'' को रूपये 2000/– मानदेय (दो हजार मात्र) प्रतिमाह नगर पालिका निधि से स्वीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता मित्रो प्रत्येक घर से रूपये 10/– संग्रहण कर अपने पास रखेगे।

प्रातः कालीन शिफ्ट मे ''स्वच्छता मित्र'' कचरा संग्रहण करेगे तथा दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक उसी वार्ड मे नाली सफाई अथवा दरोगा द्वारा बताया कार्य करेगे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 10 दिनांक 26–02–2011

विषय– अस्थाई दखल शुल्क के संबंध मे विचार।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। बस स्टेण्ड पर अस्थाई दखल शुल्क वर्ष 2008–09 से वसूल किया जाना बंद है जबकि आसपास की नगर पालिका नगर पंचायत मक्सी, शुजालपुर, सारंगपुर, ब्यावरा, पचौर, आगर, सोयत, सुसनेर आदि स्थानो पर अस्थाई दखल शुल्क वसूला जा रहा है। बस स्टेण्ड के संधारण एवं संचालन हेतु उक्त शुल्क वसूला जाना आवश्यक है।

अतः परिषद सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि नगर पालिका पूर्व स्वीकृत दर से वाहन चालको/वाहन मालिको से अस्थाई दखल शुल्क वित्तीय वर्ष 2011–12 दिनांक 01 अप्रैल 2011 से विभागीय तौर से वसूल करना प्रारंभ किया जाये। सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 11 दिनांक 26–02–2011

विषय– निकाय के कर्मचारियों को वर्दी दिये जाने पर विचार।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा निकाय के कर्मचारियों पर ड्रेस कोड लागू किया गया है किन्तु उसका कढ़ाई से पालन नही हो रहा है। अतः निकाय के प्रत्येक स्थाई कर्मचारी को दो–दो ड्रेस एवं जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की सेवा 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। उन्हें भी दो–दो ड्रेस निकाय द्वारा दी जाये। शेष अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से किश्तो मे राशि जमा करवाया जाकर उन्हें भी ड्रेस दी जाये।

जो कर्मचारी निर्धारित वर्दी मे नही आयेगा उनसे रूपये 100/– पैनल्टी वसूल की जाए। सर्व सम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 12 दिनांक 26–02–2011

विषय– विभिन्न वार्डो मे स्वीकृत निर्माण कार्यो की समीक्षा।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। पूर्व परिषद मे स्वीकृत निर्माण कार्य जिनकी दरें भी स्वीकृत हो चुकी है। सूची का अवलोकन किया सूची अनुसार निर्माण कार्य नगर पालिका की वित्तीय स्थिति अनुसार करवाए जाये। सर्व सम्मति से स्वीकृति दी जाती है।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 13 दिनांक 26–02–2011

विषय– **नामांतरण प्रकरणों के अधिकार प्रेसीडेन्ट इन काउन्सिल को प्रत्यायोजित करने पर विचार।**

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 151 मे नामांतरण के अधिकार परिषद को दिये गये है। परिषद धारा 15% के अधिकार प्रेसीडेन्ट–इन–काउन्सिल को प्रदत्त करती है। सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती है।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 14 दिनांक 26–02–2011

विषय– **सामाजिक सुरक्षा/इन्दरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन प्रकरण की स्वीकृति पर विचार।**

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। राष्ट्रीय इन्दिरा गांधी, वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत 21 प्रकरण एवं राष्ट्रीय इन्दिरा गांधी निःशक्त विधवा पेंशन योजनान्तर्गत 16 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत 02 प्रकरण एवं बहुविकलांग/मानसिक रूप से विकलांगो के कुल 20 प्रकरण स्वीकृत किये जाते है। नियमानुसार वितरण की कार्यवाही की जावे।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 15 दिनांक 26–02–2011

विषय– राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रकरण स्वीकृति की अध्यक्ष महोदय के आदेश की पुष्टि पर विचार।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अन्तर्गत कुल 14 प्रकरणों की सूची प्रस्तुत की गई एक प्रकरण नियमानुसार नही होने से निरस्त किया गया। 13 प्रकरणों मे सर्वसम्मति से आदेश की पुष्टि की जाती है तथा अध्यक्ष महोदय के आदेश की पुष्टि की जाती है। राशि प्राप्त होने पर नियमानुसार वितरण की कार्यवाही की जावे।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 16 दिनांक 26–02–2011

विषय– नगर की अवैध कालोनियों मे भवन निर्माण अनुमति पर रोक संबंधी शासन आदेश पर विचार

प्रकरण प्रस्तुत अवैध कालोनियों के संबंध मे आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश का पत्र क्रं. 4735/आर.पी.सी./न.ग्र.नि./2010 भोपाल दिनांक 29/09/2010 जो कि आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को सम्बोधित है। नगर मे एक मात्र वैध कालोनी है तथा शेष अन्य कालोनियॉ पूर्व मे ग्राम पंचायत काल मे निर्मित हुई है। वर्ष 2005 मे नगर पालिका की सीमा वृद्धि हुई होकर ग्राम मगरिया फूलखेडी, ग्राम महूपुरा संपूर्ण तथा ग्राम मूलीखेडा, लोंदिया, बोर्डी बरवाल, गिरवर, कांजा शाजापुर सीमा क्षेत्र में आंशिक रूप से सम्मिलित किये गये है। वर्ष 2005 के पूर्व से ही इन क्षेत्रो मे भवन निर्माण अनुज्ञा भी दी गई है। इन क्षेत्रो मे 50 प्रतिशत से अधिक भवन निर्मित हो चुके है। अतः ऐसे क्षेत्रो मे भूमि विकास अधिनियम अन्तर्गत अधिरोपित विकास शुल्क रूपये 150/–प्रतिवर्ग मीटर के मान से लिया जाकर भवन निर्माण अनुमति जारी की जाये इन क्षेत्रो मे हाईटेंशन लाईन एवं सार्वजनिक प्रयोजन पार्क/स्कूल आदि हेतु छोडी गई जमीन पर निर्माण कार्य की अनुमति नही दी जाए भवन निर्माण स्वीकृति के पूर्व एक समिति जिसमे पी.आई.सी. के समस्त सदस्य एवं श्री राजेश पारछे पार्षद संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करेगे तथा अनुज्ञा देने न देने की अनुशंसा करेगे साथ ही परिषद सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि नगरीय सीमा क्षेत्र मे कही भी भवन भूमि क्रय विक्रय के पूर्व उप पंजीयक कार्यालय द्वारा नगर पालिका की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही रजिस्ट्रीयॉ की जाये पत्र भेजा जावे।

म.प्र. विद्युत मण्डल को भी नगर पालिका की अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना विद्युत संयोजन नही करने संबंधी पत्र भेजा जावे। परिषद के निर्णय से श्रीमान कलेक्टर को भी अवगत कराया जाये। सर्वसम्मति से स्वीकृत।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शाजापुर

परिषद संकल्प क्रं. 17 दिनांक 26–02–2011

विषय– **शाजापुर नगर सीमा क्षेत्र मे लगने वाले विभिन्न विज्ञापन बोर्ड के स्थानों की निलामी बाबत विचार।**

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। शाजापुर नगरीय सीमा क्षेत्र मे लगने वाले विज्ञापन बोर्ड के विभिन्न स्थानों की सूची तैयार करे एवं विज्ञापनकर्ताओं को विज्ञापन बोर्ड स्थानों की जानकारी देते हुए विज्ञापन स्थानों की नियमानुसार निलामी कार्यवाही करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद शाजापुर

सत्यप्रतिलिपि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शाजापुर